संख्या-116, -प्रो0/51-20(235)/2000,

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
सचिव, प्रोटोकाल,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

प्रोटोकाल अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2002

विषय:- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राज्य अतिथियों की यात्रा के दौरान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये परिवहन देयकों का भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-66-प्रो0/51-20(235)/2000, दिनांक 9 जनवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला प्रशासन द्वारा राज्य अतिथियों एवं अन्य प्रयोजन हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से वाहनों की माँग की जाती है परन्तु माँग पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि वाहन शासन के किस विभाग के निर्देश पर माँगा गया है और उस पर होने वाले व्यय का भुगतान शासन के किस विभाग द्वारा किया जायेगा, परिणामस्वरूप उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा राज्य अतिथियों द्वारा उपयोग किये गये वाहनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (जैसे सुरक्षा, अन्य विशिष्ट महानुभावों आदि) हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों से सम्बन्धित बिल भी त्रुटिवश प्रोटोकाल विभाग को ही भेज दिये जाते हैं जब कि शासन के प्रोटोकाल विभाग द्वारा केवल राज्य अतिथियों से सम्बन्धित बिलों का ही भुगतान किया जाता है ।

2- यद्यपि इस सम्बन्ध में अनेक अवसरों पर स्थिति स्पष्ट की गयी है परन्तु भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो, इस उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहनों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले बिलों के भुगतान की व्यवस्था पुन: स्पष्ट की जा रही है:-

क्र0सं0	विशिष्ट व्यक्ति जिनके लिए वाहन लगाए जाते हैं ।	व्यय वहन करने वाला शासन का विभाग	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1-	महामहिम राष्ट्रपति/ महामहिम उपराष्ट्रपति/ मा0 प्रधान मंत्री भारत सरकार	गोपन अनुभाग-4 की स्वीकृति से प्रोटोकाल बजट से व्यय किया जाता है (अस्पष्ट)	प्रोटोकाल विभाग के आदेश सं0-1815-[illegible] 14(7)/83, दिनांक [illegible]-65

	उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली के अन्तर्गत शासन के प्रोटोकाल विभाग द्वारा घोषित राज्य अतिथि	प्रोटोकाल विभाग (जनपद लखनऊ को छोड़कर)	प्रोटोकाल विभाग के आदेश संख्या-1694-प्रो0/51-20(1)/93, दिनांक 8-4-93
3-	शासन के प्रोटोकाल विभाग द्वारा राज्य0 नियमावली के भाग-2 के अन्तर्गत (भुगतान के आधार पर) घोषित अतिथिगण	मा0 अतिथिगण द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।	-----
4-	मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 एवं मा0 परिवहन मंत्री, उ0प्र0	उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम	सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-8032-20-स-1-87 दिनांक 6-10-87
5-	उ0प्र0 के अन्य मा0 मंत्रीगण	सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा मा0 मंत्रीगण के निजी सचिव के माध्यम से ;	--तदैव--
6-	सुरक्षा हेतु लगाए गये वाहन	पुलिस बजट	वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के आदेश सं0-एफ.ए.2-333/दस-76-2-75-गृह (पुलिस)-7, दिनांक 4-9-76
7-	महामहिम राज्यपाल उ0प्र0/मा0 सभापति/ उपसभापति, विधान परिषद्, उ0प्र0 एवं मा0 अध्यक्ष/मा0 उपाध्यक्ष, विधानसभा उ0प्र0	राज्यपाल सचिवालय/ विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय	----------
8-	मा0 मुख्य न्यायाधीश/ मा0 न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद/ लखनऊ	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ बेंच	-------
9-	विदेशी अतिथि	मा0/स0 के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।	भारत सरकार के आदेश संख्या-डी-IV/121/28-80, दिनांक 22-8-81
10-	विधान परिषद्/विधान सभा की विभिन्न समितियाँ एवं विभिन्न आयोग	समितियों एवं आयोगों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।	-------

अतः अनुरोध है कि भविष्य में विभिन्न प्रयोजनों हेतु वाहन हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को भेजे जाने वाले माँग पत्र में वाहनं की माँग करने वाले तथा व्यय का भुगतान करने वाले विभाग की स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि राज्य अतिथियों के अतिरिक्त कोई भी बिल शासन के प्रोटोकाल विभाग को कदापि न भेजा जाय।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य प्रोटोकाल